Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.-114/2016

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

Land Dispute (Dakhil Kharij Revision) Case No.-114/2016

Digamber Paswan & Others..Appellant

Versus

Tarabati Devi..Respondents

Serial No.	Date of order of procedding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.11.2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी एवं राज्य उपस्थित। प्रस्तुत नामांतरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के नामांतरण पुनरीक्षण वाद संख्या-33/1992-116/1992-67/1997 (तारावती देवी बनाम दिगम्बर पासवान वगैरह) में दिनांक-14.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा-8(2)में अंकित है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के 30 दिनों के भीतर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अन्तर्गत समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष अपील/रिवीजन का प्रावधान निरूपित नहीं है। यह वाद इस न्यायालय में Maintainableनहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। Raje K. 29/11/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. 29/11/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा सत्यमेव जयते